कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिलआरोपी तारक नाथ घोष की जमानत याचिका उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (78/26, दिनांक 09.10.2026)

मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण और अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), भोपाल को एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपी तारक नाथ घोष की जमानत याचिका (MCRC No. 40160/2026) को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एकल पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल को हस्तांतरित प्रकरण अपराध क्रमांक 23546/2023 दिनांक 11.08.2018 से संबंधित है, जिसमें आरोपी तारक नाथ घोष अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 53 दुर्लभ कछुओं की अवैध खरीद-फरोख्त और तस्करी के गंभीर मामले में शामिल था। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं—2(16), 9, 39, 48A, 49, 49B, 50, 51, 52 और 57 के तहत मामला दर्ज कर उसे 12 मई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी तारकनाथ घोष को एसटीएसएफ के द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 व 28060/02 दिनांक 05.05.2017 (**जो वर्तमान में सीबीआई को हस्तांतरित किया जा चुका है जिसकी विवेचना सीबीआई के द्वारा की जा रही है)** में लगभग 9 वर्षो से फरार था। जिसे पकडने हेतु एसटीएसएफ द्वारा दस हजार का ईनाम भी घोषित किया गया था

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए उप शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। राज्य पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि आरोपी के खिलाफ आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। मामले के समस्त तथ्यों, साक्ष्यों और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी तारक नाथ घोष को जमानत का आधार न मानते हुए उसकी याचिका (MCRC No. 40160/2026) को खारिज कर दिया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स वन्यजीवों के अवैध व्यापार और शिकार के खिलाफ अपनी Zero Tolerance की नीति पर प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल